

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कृषि
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4754
उत्तर की तिथि	:	03.03.2022
विषय	:	ए0पी0एम0सी0 भंडार
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>(क) ए0पी0एम0सी0 के बिलासपुर में निर्मित भंडार सैक्टर निहाल में क्या-क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं; इसके निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और</p> <p>(ख) यह सत्य है कि इस भंडार की ईमारत को किराये पर दिया गया है; यदि हाँ, तो क्या यह ए0पी0एम0सी0 के नियमों व प्रावधानों के अनुसार किराये पर दिया जा सकता है; ब्यौरा दें?</p>	<p>(क) व (ख)</p> <p>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4754 से सम्बन्धित सूचना:—

(क) ए०पी०एम०सी० के बिलासपुर में निर्मित भंडार सैक्टर निहाल में निर्मित 4 गोदामों में हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्य वस्तुओं का भण्डारण किया जा रहा है तथा अन्य 2 गोदामों में अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन का कार्य किया जा रहा है। इनके निर्माण पर मु० 5.00 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख) जी हाँ। ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. 4 गोदाम हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा 1 गोदाम मै० पाल आलू कम्पनी को हि० प्र० कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम, 1969 की धारा 16 के प्रावधानानुसार क्रमशः माह नवम्बर, 1989 तथा माह जुलाई 2004 से किराए पर दिया गया है।
2. शेष 1 गोदाम को हि० प्र० राज्य कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 के प्रावधानानुसार मै० प्रभाकर ट्रेडर्स को दिनांक 09.08.2007 से किराए पर दिया गया है।